

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विक्रम विरकर (भा0प्र0से0)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

बिहार।

पटना, दिनांक - 24/12/2025

विषय: कॉम्पलेक्स (पंचायत स्तर पर पुर्नगठित संकुल) संसाधन केन्द्र पर शिक्षकों के नियमित बैठक एवं कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा विद्यालयों को ऑनसाइट अकादमिक अनुसमर्थन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में पूर्व में गठित संकुल संसाधन केन्द्र का पुर्नगठन पंचायत स्तर पर विद्यालयों को जोड़ते हुए कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र के रूप में किया गया है।

कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र को पंचायत स्थित विद्यालयों के शिक्षकों के अकादमिक मेंटरिंग हेतु दो कार्य निर्धारित किए जा रहे हैं -

1. शिक्षकों का एक दिवसीय मासिक अकादमिक उन्मुखीकरण बैठक रोस्टर के अनुसार आयोजित किया जाएगा। उन्मुखीकरण में कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक पंचायत स्थित किसी विद्यालय के विषय विशेषज्ञ शिक्षक का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उन्मुखीकरण के संबंध में सुझावात्मक कार्यावली की सूची उपलब्ध करायी जाएगी। कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा बैठक की कार्यवाही तैयार की जाएगी एवं इसकी एक प्रति प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
2. विद्यालय में अकादमिक अनुश्रवण करने हेतु जिला के रोस्टर के अनुसार कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक सप्ताह में एक दिन ऐसे विद्यालयों का भ्रमण करेंगे जिनमें प्राथमिक कक्षाएं (1-5) संचालित हैं। यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय भ्रमण के प्रथम चरण में प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा-कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन के आधार पर समन्वयक द्वारा वर्ग शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को

लिखित एवं मौखिक फीडबैक उपलब्ध कराए जायेंगे, जिससे कि संबंधित विद्यालयों के कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में निश्चित सुधार परिलक्षित हो सके।

कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र में संचालित किए जाने वाले बैठक का दिशा निदेश, सुझावात्मक कार्यावली एवं समन्वयक के विद्यालय भ्रमण के संबंध में मार्गदर्शिका संदर्भ हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त क्रम में आप को निदेशित किया जाता है कि जिला स्तर पर कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र की मासिक बैठक एवं समन्वयक के विद्यालय भ्रमण का रोस्टर सभी कॉम्पलेक्स में उपलब्ध करायें। साथ ही कॉम्पलेक्स स्तर पर आयोजित इन गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य स्तर पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इससे संबंधित प्रगति से अवश्य अवगत करायें।

कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र में शिक्षक बैठक एवं निर्धारित गतिविधियों हेतु वित्तीय प्रावधानों के संबंध में जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन


(विक्रम विकर)

ज्ञापांक: 7/विविध/-03/2021 (अंश) 4598 पटना, दिनांक 24/12/2025
प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
ज्ञापांक: 7/विविध/-03/2021 (अंश) 4598 पटना, दिनांक 24/12/2025
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
ज्ञापांक: 7/विविध/-03/2021 (अंश) 4598 पटना, दिनांक 24/12/2025
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

नयों

कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर (CRC) पर शिक्षकों के मासिक अकादमिक बैठक के आयोजन एवं कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेन्टर समन्वयक (CRCC) द्वारा विद्यालय भ्रमण से संबंधित मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप बिहार सरकार ने संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत के विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर कॉम्पलेक्स संसाधन केंद्र (सीआरसी) स्थापित किए गए हैं। कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र के अधिसूचना के तहत पंचायत स्थित सभी आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर विद्यालय संसाधन केन्द्र के भाग होंगे।

नवगठित कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र का मुख्यालय पंचायत स्थित वरीय उच्चतम विद्यालय को बनाया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र का व्यवस्थापक/संचालक नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गयी अधिसूचना के अनुसार कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र के समन्वयक पंचायत स्थित मध्य विद्यालयों के वरीयतम प्रधानाध्यापक को बनाया गया है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य के सभी 8827 पंचायतों एवं 75 नगर निकायों में कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र गठित हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, इन नवगठित कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र का निम्न उद्देश्य है -

- संसाधनों, विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे के आदान-प्रदान को सुगम बनाना।
- शिक्षकों के बीच शैक्षणिक मार्गदर्शन और सहपाठी अधिगम को सुदृढ़ बनाना।
- शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना और कक्षा की चुनौतियों का समाधान करना।
- कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र में शिक्षकों के मासिक शैक्षणिक बैठकें आयोजित करना ताकि उन्हें कार्यात्मक रूप से प्रभावी बनाया जा सके।
- कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा विद्यालय भ्रमण कर शिक्षकों को ऑनसाइट कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया में सुधार लाने के संबंध में अपने सुझाव उपलब्ध करना एवं शिक्षकों का मेंटरिंग करना।

यह निर्णय लिया गया है कि नव गठित कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र द्वारा विद्यालयों एवं शिक्षकों को अकादमिक अनुसमर्थन दो स्तरों पर उपलब्ध कराया जाए -

1. कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्रों में शिक्षकों के अकादमिक संवर्धन के लिए मासिक अकादमिक बैठक आयोजित किया जाएगा। यह बैठक पंचायत के शिक्षकों को अलग-अलग समूहों में प्रत्येक शनिवार को मध्यान्तर उपरांत अपराह्न 12 बजे से 3 बजे के मध्य संलग्न रोस्टर के अनुसार आयोजित किया जाना है।

चूंकि शनिवार को विद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए मध्यान्तर उपरांत, बैंगलेस सुरक्षित शनिवार, बाल संसद/सभा, खेल कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक (महीने में एक शनिवार) को आयोजित की जाती है अतः शिक्षकों के रोस्टर के अनुसार अकादमिक संवर्धन बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत भी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय

के पत्रांक 2249 दिनांक 2.12.25 के अनुसार मॉडल टाइम-टेबल की गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जाती रहेंगी।

शिक्षकों के अकादमिक संवर्धन के लिए आयोजित बैठक का रोस्टर निम्नवत होगा -

क्रम संख्या	दिन	बैठक में सम्मिलित होने वाले शिक्षक
01	माह का पहला शनिवार	कक्षा 1, 2 एवं 3 के नामित शिक्षक
02	माह का दूसरा शनिवार	कक्षा 4 एवं 5 के शिक्षक एवं प्राथमिक कक्षाओं के अन्य बचे शिक्षक जो पहले शनिवार को सम्मिलित नहीं हुए थे।
03	माह का तीसरा शनिवार	मध्य एवं उच्च/उच्चतर विद्यालयों के (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) एवं समाज विज्ञान के शिक्षक
04	माह का चौथा शनिवार	मध्य एवं उच्च/उच्चतर विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान के शिक्षक एवं मध्य एवं उच्च विद्यालयों वो सभी शिक्षक जो तीसरे हफ्ते की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके थे।
05	माह का पांचवा शनिवार	कॉम्पलेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक विद्यालय भ्रमण के आधार पर यदि आवश्यकता महसूस करें तो बैठक का आयोजन संबंधित शिक्षकों के लिए कर सकते हैं।

बैठक के संबंध में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु -

- कॉम्पलेक्स स्थित अकादमिक बैठक के लिए एजेन्डा (कार्यावली) पूर्व बैठक में ही तय कर लिए जाएंगे।
- एजेन्डा निर्धारण में शिक्षकों को वर्ग शिक्षण में आने वाली समस्याओं/कठिन बिन्दुओं पर निश्चित /रूप से विचार किया जाएगा। साथ ही आयी समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए किए गए उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- कॉम्पलेक्स की मासिक बैठक में विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की नियुक्ति/स्थानांतरण, विद्यालय की आधारभूत संसाधनों से संबंधित समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल शैक्षणिक विचार-विमर्श होगा।
- प्रत्येक बैठक का समन्वय संबंधित शिक्षकों के समूह में से प्रजातांत्रिक रूप से चुने विशेषज्ञ शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।
- बैठक की कार्यवाही को तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित समूह के समन्वयक की होगी एवं इसे अगली बैठक के पहले एजेन्डा में रखते हुए पारित किया जाएगा।
- कॉम्पलेक्स में सम्मिलित विद्यालयों के शिक्षक अपने अपने विद्यालय के लिए एक मासिक योजना बनाने का कार्य करेंगे।
- आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञ शिक्षक मांग के अनुसार स्थलीय (Onspot) सहयोग के लिए विद्यालय जा सकते हैं, इसके लिए कॉम्पलेक्स संचालक अधिकृत होंगे।

- कॉम्प्लेक्स पर बेहतर नवाचार करने वाले शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जाएगा।
- बेहतर समस्या समाधान/केस स्टडी/नवाचार को जिला एवं राज्य को प्रेषित किया जाएगा।
- कॉम्प्लेक्स स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का एक कोर ग्रुप/टीम बनाया जा सकता है। इससे विषय से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।

2. कॉम्प्लेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक (CRCC) द्वारा सप्ताह के एक दिन (जिले द्वारा उपलब्ध करायी गयी रोस्टर के अनुसार) कॉम्प्लेक्स स्थित प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स समन्वयक पहले चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में भ्रमण करेंगे और प्राथमिक कक्षाओं को अकादमिक अनुसमर्थन और फीडबैक देंगे। विद्यालय भ्रमण का उद्देश्य –

- कक्षा अवलोकन एवं शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन के द्वारा कक्षा अनुदेश की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।
- पंचायत के सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑन-साइट मेंटरशिप देना।
- विद्यालय के अकादमिक चुनौतियों की पहचान करना और लक्ष्य आधारित परिणामों को बेहतर बनाने में शिक्षकों को सहयोग करना।
- कॉम्प्लेक्स संसाधन केन्द्र की हर महीने होने वाली शिक्षक बैठक में शिक्षकों को आंकड़ा आधारित (evidence based) जानकारी उपलब्ध कराना।

कॉम्प्लेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयक (CRCC) के विद्यालय भ्रमण के संबंध में ध्यान रखी जाने वाली बातें –

- CRCC के भ्रमण हेतु सप्ताह का एक दिन निश्चित किया जाएगा। CRCC भ्रमण हेतु एक रोस्टर तैयार करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रारंभिक एवं प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण माह में एक बार अवश्य किया जाए।
- भ्रमण रोस्टर को विद्यालयों के साथ अग्रिम साझा किया जाएगा।
- प्रत्येक भ्रमण में कम से कम दो कक्षाओं का अवलोकन किया जाएगा जिनमें से एक कक्षा 1 अथवा 2 के अवश्य होंगे।
- CRCC के कक्षा अवलोकन के संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑब्ज़र्वेशन टूल/चेकलिस्ट का निर्माण किया जाएगा।
- CRCC कक्षा अवलोकन के पश्चात वर्ग शिक्षक को रचनात्मक फीडबैक और मार्गदर्शन देंगे।
- आवश्यकतानुसार CRCC मॉडल गतिविधि, शिक्षण रणनीति एवं कक्षा में बनायी गई रूटीन में संशोधन हेतु सुझाव देंगे।
- शिक्षक को पाठ योजना बनाने के संबंध में सुझाव देंगे तथा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सहयोग करेंगे।

- CRC और प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) को प्रत्येक सप्ताह भ्रमण प्रतिवेदन जमा करेंगे, जिनमें निम्नांकित बिन्दुयें सम्मिलित होंगी:

- भ्रमण किए गए विद्यालय का विवरण
- अवलोकन प्रपत्र
- शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया अनुसमर्थन
- विद्यालयों में आवश्यक अतिरिक्त संसाधन और हस्तक्षेप का आकलन।

3. कॉम्प्लेक्स संसाधन केन्द्र द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों की बैठक एवं कॉम्प्लेक्स संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा सप्ताहिक विद्यालय भ्रमण से निम्नांकित परिणाम अपेक्षित हैं –

- शिक्षकों के बीच अकादमिक संवाद और सहयोग का पुर्नस्थापन होगा।
- पंचायत स्तर पर शैक्षणिक सहयोग की संरचना को सुदृढ़ होगी।
- प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में सुधार होगा।
- बच्चों के सीखने के परिणाम में वृद्धि होगी।
- शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय में अकादमिक योजना बनाने में विद्यालय अवलोकन से प्राप्त जानकारीयों का समावेशन होगा।